मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक : एफ.4(3)(3)स्वीप / निर्वा / लोसचु / 2018 / 5243 जयपुर, दिनांक : 27/04/2019

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान मतदान केन्द्रों पर वॉलियन्टर्स नियुक्त करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में मतदान केन्द्रों की सूची के अनुसार राज्य में 51965 मतदान केन्द्रों पर आगामी लोकसभा आम चुनाव के दौरान मतदाताओं द्वारा मतदान किया जायेगा। मतदान दिवस को प्रत्येक मतदान केन्द्र पर वॉलियन्टर्स लगाने की कार्यवाही आप द्वारा पूर्व मे ही की जा चुकी है। इसी क्रम में मतदाताओं की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की सुगमता से पहुंच के लिए मतदान केन्द्र के क्षेत्र में साइनेज लगाये जायें, जिससे मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर पहुंचने हेतु किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

1. मतदान के समय मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग द्वारा विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश हैं, जिसकी पालना विगत आम चुनाव व उप चुनावों के दौरान की गई है। इसी क्रम मे आगामी लोकसभा आम चुनावों के दौरान विशेष योग्यजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर वालियन्टर्स की सुविधा उपलब्ध करवायी जानी है।

2. यह सुनिश्चित करे कि मतदान केन्द्रो की लोकेशन स्पष्ट हो ताकि मतदाताओ को मतदान केन्द्रो पर पहुँचने में कठिनाई ना हो। इस विषय मे निम्न प्रकार से कार्यवाही की जाये :–

2.1 मतदान केन्द्र के भवन पर मतदान केन्द्र का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये तथा मतदान केन्द्रों के क्षेत्र में साईनेज इस प्रकार से लगाये जायें, जिससे कि मतदाता मतदान केन्द्रों पर आसानी से पहुंच सके।

www.rajteachers.com

3. योग्यजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुविधार्थ आयोग की यह मंशा है कि मतदान केन्द्रों पर विशेष योग्यजनों हेतु रैम्प आदि की व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जायें। इसी क्रम में निर्देश हैं कि :–

3.1 मतदान दिवस के दिन प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 2 वॉलियन्टर्स नियुक्त किये जायें।

3.2 वॉलियन्टर्स यथा संभव प्राथमिकता से 18 वर्ष की आयु तक के ही होंगे। यह छात्र/छात्राएं भारत स्काउट गाइड, एन.एस.एस., एन.सी.सी. कैडेट एवं आंगनबाडी कार्यकर्ता हो सकते है।

3.3 इन वॉलियन्टर्स को मतदान केन्द्रवार चिन्हित करने के पश्चात् इनका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाये। इस प्रशिक्षण में इन्हें इनके दायित्वों के बारे में बताया जाये। इनका मुख्य रूप से दायित्व यह होगा कि मतदान दिवस पर आने वाले विशेष योग्यजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों का आदरपूर्वक अभिवादन करें तथा उन्हें बूथ तक सुगमतापूर्वक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

3.4 पूर्व की भांति इन वॉलियन्टर्स की अलग पहचान स्थापित की जाये। जिससे मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं द्वारा इन्हें चिन्हित किया जाकर इनसे सम्पर्क किया जा सके। सामग्री हेतु बैंको, बीमा कम्पनीयों, PSUs जुटाए जा सकते है।

3.5 उक्त वॉलियन्टर्स पीठासीन अधिकारी एवं बीएलओ के साथ समन्वय रखते हुए मतदान दिवस पर अपने कार्य को संपादित करेंगे। यदि मतदान केन्द्रों पर लम्बी कतारें हैं तो वह मतदाताओं से यह आग्रह करेंगे कि वेटिंग एरिया में प्रतीक्षा करें तथा छोटी–छोटी कतारें बनाकर बिना किसी कठिनाई के मतदान कराने की व्यवस्था करेंगे।

3.6 जिला प्रभारी, स्काउट एवं गाइड (C.O.) द्वारा जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए विधानसभा प्रभारियों (स्काउट एवं गाइड) का चिन्हीकरण कर उनका प्रशिक्षण भी किया जाए।

3.7 विधानसभा प्रभारियों द्वारा प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/ स्काउट एवं गाइड प्रभारी के माध्यम से स्काउट एवं गाइड को प्रशिक्षण दिया जाए।

3.8 मतदान केन्द्र पर मतदान प्रारम्भ होने से 1 घंटे पूर्व वॅलियन्टर्स उपस्थित होगें एवं मतदान समाप्ति तक उपस्थित रहेगें।

www.rajteachers.com

3.9 मतदान केन्द्र पर वॅलियन्टर्स मुख्यद्वार से मतदान कक्ष तक वृद्धजन, दिव्यॉग मतदाताओं को लाने एवं वापिस छोडने में सहयोग करेगें।

3.10 मतदान केन्द्र पर वॅलियन्टर्स अपनी स्काउट/गाइड की युनिफार्म में रहेंगें।

3.11 मतदान केन्द्र पर भीड़ अधिक होने पर मतदाताओं को पंक्तिबद्ध खड़े करने छाया में बिढ़ाने तथा आवश्यकता होने पर टोकन वितरण में सहयोग करेंगं।

3.12 मतदान केन्द्र पर अधिक भीड़ होने पर दिव्यांग एवं वृद्धजन मतदाताओं को निर्धारित स्थान पर बैठाकर मतदान कराने में सहयोग करना।

3.13 संबंधित पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार चुनाव में आवश्यक सहयोग करायेंगें।

3.14 इन वॅलियन्टर्स को जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से अन्य मतदान कर्मियों की भांति अल्पाहार की व्यवस्था की जावेगी।

3.15 जिला प्रभारी, स्काउट एवं गाइड (C.O.) द्वारा उपलब्ध करायी गयी वालिंटियर्स की सूची के अनुसार मतदान केन्द्रवार ड्यूटी जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लगाई जावेगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर रिर्पोट ईमेल आई.डी addl.ceo.j@gmail.com एवं sveepraj@gmail.com पर दिनांक 27.04.2019 तक प्रेषित करावें।

(सुभाष दामोदिया)
वित्तिय सलाहकार
निर्वाचन विभाग
जयपुर, दिनांक :

क्रमांक : एफ.4(3)(3)स्वीप/निर्वा/लोसचु/2018/

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
2. अति0 निजी सचिव, अति0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आर./जे. राजस्थान।
3. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान।

वित्तिय सलाहकार
निर्वाचन विभाग
राजस्थान, जयपुर

www.rajteachers.com